न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या – 324/2015
52/2016

उषा देवी बनाम राज्य

– :: आदेश :: –

22.7.18

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद अपीलार्थी उषा देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आंगनवाड़ी वाद संख्या – 55/2015 में दिनांक 22.05.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 324/2015 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक – 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका – 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या – 55/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2015 के विरुद्ध अपीलार्थी उषा देवी द्वारा दाखिल किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि इनका चयन सेविका पद हेतु वर्ष 1998 में आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या – 37 समसुद्दीनपुर मुशहरी, वार्ड संख्या – 07, ग्राम पंचायत–महारस, परियोजना–बनमा ईटहरी हेतु किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी सही एवं सुचारू रूप से कार्य करती आ रही थी। वर्ष 2004 में विपक्षी निर्मला देवी का भी चयन समसुद्दीनपुर दक्षिणी हेतु किया गया, उक्त दोनों ही केन्द्र वार्ड संख्या–07 में ही चल रहा था। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमा ईटहरी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक – 205 दिनांक 18.06.2012 द्वारा विभागीय आदेश के विपरित जाकर इनका स्थानान्तरण वार्ड सख्या – 07 से वार्ड संख्या–10 में कर दिया गया, जबकि विभागीय ज्ञापांक – 622 दिनांक 16.02.2012 के कंडिका–6 के उपकंडिका–ख में वर्णित है कि "अगर दो या उससे ज्यादा सेविका/सहायिका नये परिसिमन में एक ही वार्ड की निवासी हो जाती है तो एक को उस वार्ड से सटे निकटतम वार्ड के आंगनवाड़ी केन्द्र में स्थानान्तरण कर दिया जाएगा। पास के केन्द्र पर स्थानान्तरण उस सविका/सहायिका का किया जायेगा, जो कम अवधि से सेविका/ सहायिका के रूप में कार्य कर रही हो। यह प्रक्रिया इस प्रकार अपनाई जाएगी, जिससे की सेविका/सहायिका की सिफटिंग कम से कम हो।" विभागीय निदेश के अनुसार केन्द्र संख्या–38 के सेविका विपक्षी निर्मला देवी का होना चाहिए, क्योंकि उसका चयन वर्ष 2004 में किया गया, वह कम समय से कार्यरत है, जबकि अपीलार्थी का चयन 1998 में हुआ। अपीलार्थी का आगे कहना है कि उसका स्थानान्तरण गलत रूप से किया गया तथा निम्न न्यायालय भी उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर आदेश पारित कर दिये। विपक्षी का कहना सरासर गलत है कि इनका चयन वार्ड संख्या – 10 में हुआ था। वार्ड संख्या–10 में केन्द्र संख्या–36 संचालित था, जिसकी सेविका वीणा कुमारी है तथा उसका स्थानान्तरण पत्रांक 205 दिनांक 18.06.2012 से वार्ड संख्या–12 में किया गया तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वार्ड संख्या–10 में किया गया जो सरासर गलत है। अपीलार्थी वर्ष 1990 में मध्यमा उत्तीर्ण हुई तथा जन्मतिथि 07.05.1972 है जबकि विपक्षी निर्मला देवी 1991 में मध्यमा उत्तीर्ण हुई तथा जन्मतिथि 12.03.1994 है। इस प्रकार अपीलार्थी विपक्षी से वरिष्ठ है । इस तरह से भी विपक्षी का स्थानान्तरण वार्ड संख्या – 07 से वार्ड संख्या – 10 होना चाहिए था, बावजूद निम्न न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का आगे कहना है कि निम्न न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उपनिदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया, जहाँ दिनांक 16.06.2015 को पारित अंतरिम आदेश में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेश पर रोक लगाते हेतु अपीलार्थी को पूर्व के चयन स्थान वार्ड संख्या – 07, केन्द्र संख्या–37 आंगनवाड़ी पर कार्य करने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय के स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या–37, वार्ड संख्या–07 में बतौर सेविका कार्य करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिपक्षी का कहना है कि यह वार्ड संख्या–07 की रहने वाली है और केन्द्र संख्या–38 समसुद्दीनपुर दक्षिण भाग, ग्राम पंचायत–महारस, वार्ड संख्या–07 में चयन के दिन से कार्य करते चली आ रही है। अपीलार्थी केन्द्र संख्या–37 की सेविका है, जिसे अपने घर पर नाजायज ढ़ंग से चला रही थी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आदेश पत्रांक – 205 दिनांक 16.06.2015 द्वारा उसे वार्ड संख्या–10 ले जाने का आदेश दिया गया। प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि अपीलार्थी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए केन्द्र अपने घर पर ही चलाते रही तथा वार्ड नं–10 नहीं ले गई। बाद में जब जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पास वाद संख्या–55/2014 गलत ढ़ंग से सिफिटिंग की बात देकर केस फाइल किया, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी को केन्द्र संख्या–37 को वार्ड नं0–10 में ले जाकर कार्य करने का आदेश दिया तथा यह वार्ड संख्या–07 में ही केन्द्र संख्या–38 चला रही थी उसे बरकरार रखा। प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि खुरेशान गाँव में 4 आंगनवाड़ी केन्द्र चलता था 1. केन्द्र संख्या–36 खुरेशान मुसहरी 2. केन्द्र संख्या–37

22.7.18

समसुद्दीनपुर मसुहरी 3. केन्द्र संख्या–38 समसुद्दीन दक्षिण भाग 4. केन्द्र संख्या–39 खुरेशान दक्षिण भाग। चारों केन्द्र खुरेशान ग्राम पंचायत से अलग होकर के ग्राम पंचायत–महारस में सरकार के आदेश के मुताबिक आ गया। वर्ष 1997 में केन्द्र संख्या–38 जो वार्ड संख्या–07 समसुद्दीनपुर दक्षिण में है सुनिता देवी सेविका द्वारा 03 वर्ष तक कार्य नहीं करने के कारण सुनिता देवी का चयन रद्द करते हुए नये सिरे से प्रतिपक्षी का बहाली आम सभा द्वारा केन्द्र संख्या– 38, वार्ड संख्या–07 में किया गया तथा उसी दिन से कार्य करते चली आ रही है। इनके विरुद्ध कोई शिकायत सरकार के द्वारा अथवा लाभुक के द्वारा नहीं है। प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि इनके पति अपना जमीन दान देकर वार्ड संख्या–07 में केन्द्र संख्या–38 पर मकान बनवाकर केन्द्र चलाती है जिस जमीन की स्वीकृति एवं मकान की स्वीकृति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने आदेश दिया। अपीलार्थी का चयन केन्द्र संख्या–37, वार्ड संख्या–10 समसुद्दीनपुर मुसहरी के लिए हुआ तो उसको केन्द्र संख्या–38, जो वार्ड संख्या–07 में है उस पर कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस सेविका का चयन जिस केन्द्र के लिए हुआ उस सेविका को वहाँ की काम कना चाहिए। प्रतिपक्षी द्वारा अपीलार्थी को केन्द्र संख्या–37, वार्ड संख्या–10 जहाँ चयन हुआ है, उसपर कार्य करने का आदेश देते हुए वाद खारिज करने की याचना की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद में दिनांक 16.06.2016 को अंतरिम आदेश दिया गया था। सुनवाई तथा अभिलेख अवलोकन के पश्चात प्रतीत होता है कि बिना स्थलीय जाँच तथा वार्ड संख्या–7/12/10/9 की समेकित स्थिति के आँकलन के पश्चात ही निर्णय लिया जा सकता है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वार्डों की परस्पर स्थिति का स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण कर पुनः संबंधित पक्षों को सुनकर विभागीय दिशा–निदेश के अनुसार शीघ्र आदेश पारित करें। तब तक इस न्यायालय से पारित अंतरिम आदेश एवं यथास्थिति लागू रहेगा। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

22.7.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

22.7.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1120-2/विधि, सहरसा, दिनांक 27-07-2017

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
26-07-017 जिला विधि शाखा, सहरसा।